FOOD SAFETY APPELLATE TRIBUNAL
JAIPUR, RAJASTHAN

APPEAL NO.FA/0043/2017

1. Mukesh Khandelwal S/o Nand Kishore Khandelwal, R/o Ward No.25, Jhalawar Main Road, Gindor, Jhalarapatan, District Jhalawar
2. ITC Limited, through its Nominee and Branch Manager Shri Gireesha Nema S/o Late Shri L.R. Nema, Branch Office M/s ITC Limited, D-24, Office No.201, Durlabh Chambers, Prithviraj Road, Jaipur

--APPELLANT

Versus

1. State of Rajasthan, through Commissioner Food Safety, Directorate of Medical, Health & Family Services, Jaipur
2. Shri Ram Narayan Gujjar, Food Safety Officer, Chief Medical & Health Officer, District Jhalawar

--CONTESTING RESPONDENTS

APPEAL NO.FA/0110/2017

1. Shri Gireesha Nema S/o Late Shri L.R. Nema, Nominee of M/s ITC Ltd., D-24, Office No.201, Durlabh Chambers, Prithviraj Road, C-Scheme, Jaipur
2. ITC Limited having its regional office at D-24, Office No.201, Durlabh Chambers, Prithviraj Road, C-Scheme, Jaipur through its nominee Shri Gireesha nema

--APPELLANTS

Versus

1. State of Rajasthan, through Commissioner Food Safety, Directorate of Medical, Health & Family Services, Jaipur
2. Shri Anil Bhardawaj, Food Safety Officer, Chief Medical & Health Officer, District Udaipur

--CONTESTING RESPONDENTS

3. Shri Vinay Upadhyay S/o Anand Sharma, Manager, Easy Day, Celebration Mall, Udaipur, R/o F-1038, Kamla Nagar, Agra

-PRO FORMA RESPONDENT

APPEAL NO.FA/0111/2017

1. Shri Pawan Khandelwal S/o Shri Radhey Shyam Khandelwal, Owner of M/s Krishna Marketing, C-11/7, Automobile Nagar, Galta Road, Jaipur
2. Shri Gireesha Nema, Nominee, M/s ITC Limited, Virginia House, 37, JLN Road, Kolkata-700071
3. ITC Limited, Virginia House 37, JLN Road, Kolkata, through its Nominee and Branch Manager Shri Gireesha Nema S/o Late Shri L.R. Nema, Branch Office M/s ITC Limited, D-24, Office No.201, Durlabh Chambers, Prithviraj Road, Jaipur

--APPELLANTS

Versus

1. State of Rajasthan, through Commissioner Food Safety, Directorate of Medical, Health & Family Services, Jaipur
2. Shri Shashikant Sharma, Food Safety Officer, Chief Medical & Health Officer, District Jaipur

--CONTESTING RESPONDENTS

Present :-

Shri Shivangshu Naval, Ms. Sukirti Singh, Advocates for appellants
Shri Abhijit Sharma, advocate on behalf of Shri V.D. Gathala, Advocate for contesting Respondents

JUDGMENT

Date – 23.05.2018

1. इन तीनों प्रकरण में पक्षकारान एक ही है तथा तीनों प्रकरण समान बिन्दुओं पर निर्धारित हुए है और तीनों प्रकरण में एक ही तरह का एतराज लिया गया है।

2. प्रकरण संख्या 43/2017 की अपील योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी, झालावाड़ के आदेश दिनांक 17.04.2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है जो उनके द्वारा उनके प्रकरण संख्या 26/2017 रामनारायण गुर्जर बनाम मुकेश कुमार वगैरा में पारित किया गया जिसके द्वारा अपीलान्ट पर क्रमशः 2,000 एवं 5,000रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है।

3. प्रकरण संख्या 110/2017 की अपील योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी, उदयपुर के आदेश दिनांक 26.07.2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है जो उनके द्वारा उनके प्रकरण संख्या 27/2016 राज्य सरकार बनाम विनय उपाध्याय वगैरा में पारित किया गया जिसके द्वारा अपीलान्ट पर क्रमशः 10,000 एवं 15—15,000रूपये कुल 40,000रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है।

4. प्रकरण संख्या 111/2017 की अपील योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी, जयपुर शहर उत्तर जिला जयपुर के आदेश दिनांक 24.07.2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है जो उनके द्वारा उनके प्रकरण संख्या 05/2016 राज्य बनाम पवन खण्डेलवाल वगैरा में पारित किया गया जिसके द्वारा अपीलान्ट पर क्रमशः 10,000 एवं 25,000रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है।

5. तीनों प्रकरण में बहस सुन ली गई थी परन्तु क्रमशः दिनांक 08.05.2018, 12.04.2018 एवं 08.05.2018 को अतिरिक्त शपथ पत्र अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत हुए। शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दृष्टिगोचर रखते हुए अब इन प्रकरण की अपील में लिए गए एतराज को गुणता के आधार पर विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है।

6. तीनों प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से शपथपत्र एक समान रूप से प्रस्तुत हुए है, जो निम्नप्रकार हैः——

"…….That I am aware of and well conversant with the manufacture, packaging and labelling of 'instant noodles' in the name and style of "Sunfeast Yippee Noodles" that are manufactured and marketed by ITC Limited.

That keeping in mind the interest of the consumers that is of foremost concern to the company, it is clearly stated on the masala mix that the same is not to be sold individually without the outside packet by stating "not meant for retail sale without outer pack.

Further, it is also mentioned on the said pouch that "Refer to outer packet for all details.

That it submitted that the words "no added MSG" are no longer written on the package of instant noodles manufactured and/or marketed by ITC. Please see Annexure A, with press releases on the same. Please also find attached Annexure B with the revised labels, which no longer contain a declaration of "no added MSG". Previously, the said declaration of "no added MSG" used to be written on the labels only in the interest of consumer awareness, considering that no MSG was added by the ITC at the time of manufacture of the instant noodles. ……"

7. योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी झालावाड़, उदयपुर एवं जयपुर ने अपीलान्ट पर इस कारण से शास्ति अधिरोपित की थी कि उनके द्वारा निर्मित एवं विक्रित खाद्य पदार्थ (Yippee Noodles & Pasta) मिसब्राण्ड है क्योंकि खाद्य पदार्थ के पेकेट पर No added MSG or no MSG अंकित किया गया था।

8. शपथपत्र के अनुसार पेकेट पर अब No added MSG का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और योग्य अधिवक्ता वास्ते अपीलान्ट के अनुसार वर्ष 2015 में ही No added MSG मुद्रित करना बन्द कर दिया था।

9. इसके अलावा पेकेट पर यह भी अंकित किया जा रहा है कि स्वाद को बढाने वाला मसाला अलग से नहीं बेचा जायेगा, पैकेट के अन्दर रखा गया स्वाद बढाने के मसाले के पैकेट पर भी यह अंकित किया जा रहा है कि अन्य सभी विवरण के लिए बाहरी पैकेट को देखे। ऐसी स्थिति में तीनों अपील में कोई विवाद का बिन्दु शेष नहीं रहता है।

10. विक्रित किए जा रहे खाद्य पदार्थ का जो मानक तय किया गया है, उसमें विश्लेषण के अनुसार कोई कमी नहीं आई है, No added MSG पैकेट पर मुद्रित करना मिसब्राण्ड है या नहीं यह व्याख्या का प्रश्न है जिसकी अब गुणता के आधार पर व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं रहती हैं विधि के प्रावधानों की पालना हो चुकी है।

11. इस तरह के मामले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 के तहत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित था, न कि अभियोजन किया जाना।

12. स्थिति जो भी हो अब चूँकि विधि के सभी प्रावधानों की पालना हो चुकी है और जैसा कि लिखा जा चुका है कि खाद्य पदार्थ की गुणता में कोई कमी नहीं है। ऐसी स्थिति में अधिरोपित शास्ति अपास्त की जाती है। अपील इसप्रकार निस्तारित की जाती है।

:: आदेश ::

अतः अपील स्वीकार करते हुए आलौच्य आदेश जोकि न्याय निर्णायक अधिकारी, झालावाड़ के प्रकरण संख्या 26/2017 रामनारायण बनाम मुकेश, न्याय निर्णायक अधिकारी, उदयपुर के प्रकरण संख्या 27/2016 राज्य सरकार बनाम विनय उपाध्याय एवं न्याय निर्णायक अधिकारी, जयपुर शहर उत्तर जिला जयपुर के प्रकरण संख्या 05/2016 राज्य बनाम पवन खण्डेलवाल में पारित आदेश अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति सभी पत्रावली में लगाई जाए तथा एक एक प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क प्रेषित की जावे।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 23.05.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर